

प्रेस नोट
थाना बड़ागाँव, झाँसी

दिनांक- 05.01.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका के अनुपालन में अभियुक्तगण गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 04.01.2026 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिका केश न0- 1341/2015 अ0सं0 183/14 धारा 279,337,338 भादवि थाना बड़ागाँव झाँसी से संबंधित अभियुक्त दीपक यादव पुत्र स्व0 मूरत सिंह निवासी ग्राम डिमरौनी थाना बड़ागाँव जिला झाँसी उ0प्र0 उम्र 34 वर्ष व केस न0 911/2025 धारा 31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (मा0न्याया0एफ0टी0सी0/सी0ए0डब्लू झाँसी) से संबंधित अभियुक्त इंदल सिंह गौतम पुत्र बलवीर सिंह निवासी-ग्राम बिरगुवां थाना बड़ागाँव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता वारण्टी अभियुक्त

1. दीपक यादव पुत्र स्व0 मूरत सिंह निवासी ग्राम डिमरौनी थाना बड़ागाँव जिला झाँसी उ0प्र0 उम्र 34 वर्ष
2. इंदल सिंह गौतम पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम बिरगुवां थाना बड़ागाँव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री मो0 हारून थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री शिवशंकर प्रताप तिवारी थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
3. का0 1863 विकास कुमार थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
4. का0 598 विक्रम नागा थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
3. आरक्षी चालक संदीप कुमार थाना बड़ागाँव जिला झाँसी